राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः प. 4 (15) वित्त–1(1)/आ.व्यय./2016/पार्ट–2 जयपुर, दिनांक : 24 अप्रेल, 2018

परिपत्र

विषयः–पुनर्विनियोजन तथा निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण की ऑनलाईन व्यवस्था के संबंध में।

प्रशासनिक विभागों/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले राशि के पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव तथा निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण की स्वीकृति को ऑनलाईन किये जाने के उद्देश्य से एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत व्यवस्था विकसित कर ली गई है।

Online Budget Re-Appropriation Module तथा PD Account Sanction Module में प्रशासनिक विभागों, बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा कोषालयो के लिए लॉगिन की वर्तमान व्यवस्था (IFMS Budget) ही रहेगी। इस हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

1. Budget Re-Appropriation:- नवीन व्यवस्था के तहत बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा Budget Re-Appropriation के प्रस्ताव स्वयं के लॉगिन से IFMS पर प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किये जायेगें। प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्ताव से सहमत नही होने की स्थिति में प्राप्त प्रस्ताव को Online Reject किया जा सकेगा जिसके लिए Module में विकल्प उपलब्ध है। सहमत होने पर प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने लॉगिन में वित्त (व्यय) विभाग को अनुमोदन हेतु Forward किये जायेगें। वित्त (व्यय) विभाग स्वयं के लॉगिन में प्रस्ताव का ऑनलाईन परीक्षण कर असहमत होने पर प्रशासनिक विभाग को रिवर्ट कर सकेगा तथा सहमत होने पर अनुमोदन हेतु वित्त (बजट) विभाग को Module में ऑनलाईन अग्रेषित किया जावेगा। वित्त (बजट) विभाग को भी रिवर्ट करने का विकल्प होगा। सहमति की स्थिति में वित्त (बजट) विभाग द्वारा संबंधित मदों में राशि ऑनलाईन पुनर्विनियोजन कर दी जावेगी।

2. PD Account Sanction:- बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा संस्था के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण किये जाने की सहमति हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को अग्रेषित किया जावेगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा सहमत होने की स्थिति में प्रस्ताव अनुमोदन हेतु वित्त (व्यय) विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित किया जावेगा। वित्त (व्यय) विभाग प्राप्त प्रस्ताव से सहमत नही होने पर ऑनलाईन प्रशासनिक विभाग को रिवर्ट कर सकेगा तथा सहमति की स्थिति में अनुमोदन कर पुनः प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त (व्यय) विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर संस्था के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण की ऑनलाईन स्वीकृति जारी कर वित्त (बजट) विभाग को Forward करेगा। वित्त (बजट) विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग से ऑनलाईन प्राप्त स्वीकृति के आधार पर संबंधित संस्था/विभाग/निकाय के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण हेतु संबंधित कोषालय को ऑनलाईन स्वीकृति Forward की जायेगी। उक्त स्वीकृति के साथ ही कोषालय को राशि भी सिस्टम से स्वतः हस्तान्तरित होगी तथा इस स्वीकृति के आधार पर कोषालय द्वारा संबंधित संस्था के निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।

प्रारम्भ में यह प्रक्रिया पायलेट बेसिस पर निम्न पॉच विभागों के साथ 01 मई, 2018 से प्रारम्भ की जा रही है जिससे ऑनलाईन प्रक्रिया को सभी विभागों के लिए लागू किए जाने से पूर्व तकनीकी कठिनाईयों की जॉच की जा सके:–

1. कार्मिक विभाग, जयपुर।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. वन विभाग, जयपुर।

01 मई, 2018 के पश्चात् उक्त विभागों के Re-Appropriation तथा PD Account Sanction संबंधी प्रस्ताव Online प्राप्त नही होने पर वित्त विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही नही की जा सकेगी। अतः इन विभागों द्वारा प्रस्ताव वित्त (व्यय) विभाग में भिजवाने से पूर्व Online प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। Online प्रक्रिया पूर्णतः establish होने तक पूर्वानुसार स्वीकृति की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।

अन्य विभागों के लिए वर्तमान में Online व्यवस्था IFMS बजट की डेमो साइट 164.100. 153.105/ IFMS पर उपलब्ध है, जिस पर नवीन प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य कर फीडबैक/सुझाव वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित किए जा सकते है। उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु IFMS बजट की हैल्प डैस्क नम्बर 5153222, आई.पी. 24452, ई–मेल आई.डी. ifms-rj@nic.in अथवा निम्नलिखित दूरभाष पर संपर्क किया जा सकेगा:–
श्री दिनेश चन्द्र कुमावत, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग दूरभाष न0 9460142990.

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीया मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव
3. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
9. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर
10. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
11. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, जयपुर।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर
14. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
15. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
16. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इसे वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग